

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 3404**] No. 3404] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2018/भाद 8, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2018/BHADRA 8, 1940

# वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

## आय-कर

का.आ. 4213(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 28 के खंड (viक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर ( नौवां संशोधन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।
- 2. आयकर नियम, 1962 में,—
  - (क) नियम 11प के खंड (ख) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—
  - "(ii) किसी अन्य दशा में,—
    - (अ) किसी भारतीय कंपनी के संबंध में, ऐसी कंपनी का मूल्यांकन की तारीख को तैयार किया गया तुलन पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं के भाग रूप भी हैं) जिसे प्रवृत्त कंपनियों से संबंधित विधियों के अधीन नियुक्त कंपनी के संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया गया है ; और
    - (आ) किसी ऐसी कंपनी के संबंध में, जो भारतीय कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी का मूल्यांकन तारीख को तैयार किया गया तुलन पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं के भाग रूप भी हैं) जिसे उस

5085 GI/2018 (1)

देश की, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रीकृत है या निगमित है, प्रवृत्त विधियों के अधीन नियुक्त कंपनी, यदि कोई हो. के संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया गया है ;";

(ख) नियम 11 पकक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**11 पकख. तालिका के लिए उचित बाजार मूल्य का अवधारण-** (1) अधिनियम की धारा 28 के खंड (viक) के प्रयोजनों के लिए, तालिका का उचित बाजार मूल्य,—

- (i) जो अचल संपितत है, भूमि या भवन है या दोनों हैं, उस तारीख को, जिसको तालिका पूंजी आस्ति में संपरिवर्तित हो जाती है या पूंजी आस्ति के रूप में मानी जाती है, ऐसी अचल संपितत के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य होगा;
- (ii) जो नियम 11पक में निर्दिष्ट आभूषण, पुरातत्वीय संग्रहण, रेखाचित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला, कोई अन्य कलाकृति शेयर या प्रतिभूतियां हैं, नियम 11पक के उपनियम (1) में उपबंधित रीति में अवधारित मूल्य होगा और इस प्रयोजन के लिए, नियम 11प तथा नियम 11पक में मूल्यांकन तारीख के प्रतिनिर्देश वह तारीख होगी, जिसको तालिका पूंजी आस्ति में संपरिवर्तित की जाती है या पूंजी आस्ति के रूप में मानी जाती है;
- (iii) जो खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट संपत्ति से भिन्न संपत्ति है, तो वह कीमत होगी जो ऐसी संपत्ति, उस तारीख को, जिसको तालिका, पूंजी आस्ति के रूप में संपरिवर्तित की जाती है या पूंजी आस्ति के रूप में मानी जाती है, खुले बाजार में विक्रय किए जाने पर मामूली तौर पर प्राप्त करेगी।"।

[अधिसूचना सं. 42/2018/फा. सं. 370142/05/2018-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (टीपीएल-II)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666(अ) दिनांक 20.07.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2018

# **INCOME-TAX**

- **S.O. 4213(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (via) of section 28 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the Income-tax Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
  - 1. (1) These rules may be called the Income-tax (9th Amendment), Rules, 2018.
    - (2) They shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of April, 2019 and shall apply in relation to assessment year 2019-20 and subsequent years.
  - 2. In the Income-tax Rules, 1962,—
- (a) in rule 11U, in clause (b), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
  - "(ii) in any other case,—
    - (A) in relation to an Indian company, the balance-sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the valuation date which has been audited by the auditor of the company appointed under the laws relating to companies in force; and

- (B) in relation to a company, not being an Indian company, the balance-sheet of the company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the valuation date which has been audited by the auditor of the company, if any, appointed under the laws in force of the country in which the company is registered or incorporated;";
- (b) after rule 11UAA, the following rule shall be inserted, namely:—
  - **"11UAB. Determination of fair market value for inventory.—**(1) For the purposes of clause (via) of section 28 of the Act, the fair market value of the inventory,—
  - (i) being an immovable property, being land or building or both, shall be the value adopted or assessed or assessable by any authority of the Central Government or a State Government for the purpose of payment of stamp duty in respect of such immovable property on the date on which the inventory is converted into, or treated, as a capital asset;
  - (ii) being jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art, shares or securities referred to in rule 11UA, shall be the value determined in the manner provided in sub-rule (1) of rule 11UA and for this purpose the reference to the valuation date in the rule 11U and rule 11UA shall be the date on which the inventory is converted into, or treated, as a capital asset;
  - (iii) being the property, other than those specified in clause (i) and clause (ii), the price that such property would ordinarily fetch on sale in the open market on the date on which the inventory is converted into, or treated, as a capital asset.".

[Notification No. 42/2018/F. No. 370142/05/2018-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (TPL-II)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962, and was last amended by *vide* notification number G.S.R. 666(E), dated 20.07.2018.